"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान . (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2005—फाल्गुन 20, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास सूरजपुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

सूरजपुर, दिनांक 27 मई 2004

प्रारूप (5)
[नियम 5 (1) देखिए]
[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 का उप नियम (1) देखिये]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी, सूरजपुर के समक्ष

क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की

उपधारा (4) के अभिप्राय के लिए लोक न्यास है. और उसका गठन करती है.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, सूरजपुर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 27-6-2004 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास की संपत्ति का विवरण	लोक न्यास का नाम और पता
ग्राम गुंगौटी रा.नि.मं. भैयाथान स्थित भूमि :—	ओंकारेश्वर शिवमंदिर ट्रस्ट गंगौंटी बांसापारा खास गंगौटी मार्ग जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

ख. नं.	रकबा
20	0.09 आरे
19/2	0.01 आरे
2 प्लाट	0.10 आरे

नरेन्द्र दुग्गे
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 7 जून 2004

फार्म-चौथा

[नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक रा.प्र.क्र. 2/ब-113/03-04.—चूंकि श्री शांतिलाल सोमानी एवं श्री श्याम सोमानी पिता स्व. लालचंद सोमानी निवासी पैलेस रोड, जगदलपुर के द्वारा भंवरलाल मिश्रीलाल चेरिटेबल ट्रस्ट एवं अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन के लिये छ. ग. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन आवेदन किया है. इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में मेरे द्वारा तारीख 27-7-2004 को विचार किया जावेगा. उक्त न्यास का संपत्ति संबंधी मामलों में किसी प्रकार का हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो कोई आपत्ति उठाना चाहे या सुझाव देना चाहे, वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपने लिखित बयान की दो प्रतियां बनाकर देवें और उक्त तिथि को मेरे सामने या तो स्वयं या किसी वकील या अभिकर्त्ता के जरिये उपस्थित हों. उक्त कालावधि

बीत जाने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अ. क्र.	ट्रस्ट का नाम	स्थान	संपत्ति का विवरणानुसार	
			चल संपत्ति	अचल संपत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भंवरलाल, मिश्रीलाल, चेरिटेबल ट्रस्ट	जगदलपुर	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में बचत रुपए 10,000.00 (दस हजार रुपए)	-

हस्ता./-
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

फार्म नं. 4

[नियम 5 (1) देखिए]

[देखिये धारा-5 (2) छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (3) एवं 5 (1) और नियम 5 (1) छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम 1962]

समक्ष : रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, खडगवां, मुख्यालय चिरमिरी जिला कोरिया छ. ग.

रा.प्र.क्रमांक/01/ब-113/03-04.—चूंकि श्री काली बाडी चिरमिरी (मंदिर) ने इस नोटिस के संलग्न शेड्यूल में दर्शाए हुए जयजाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबत धारा-4 छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत एक अर्जी प्रस्तुत किया गया है. याद रखे कि ऊपर लिखे हुए अर्ज पर विचार मेरे द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 15-7-2004 को किया जायेगा.

जो भी व्यक्ति इस ट्रस्ट या जायजाद के कारोबार में दिलचस्पी रखता हो या जिसका उक्त बाबात कोई विरोध करने का इरादा हो या सुझाव हो, वह जवाबदावा दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में अपना लिखित कथन प्रस्तुत कर मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक द्वारा उपरोक्त निश्चित दिनांक को उपस्थित रहें.

निर्धारित अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

शेड्यूल

सार्वजनिक न्यास का नाम : श्री काली बाडी चिरमिरी (मंदिर) समिति, जिला कोरिया, छ.ग.

अचल संपत्ति :

चल संपत्ति : रु. 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार मात्र) एफ.डी.खाते के रूप में जमा है.

जारी दिनांक : 14-6-2004

स्थान : चिरमिरी.

सी. बी. तिर्की,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 26 अगस्त 2004

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]
[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (195 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 504/प्र./वि. अ./2004.—चूंकि मैनेजिंग ट्रस्टी आयुष्मान फाउन्डेशन भिलाई सेटलर आयुष्मान फाउन्डेशन सुपेला भिलाई निवासी-भिलाई, तह. दुर्ग, जिला दुर्ग ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (195 का 30) की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24-9-2004 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसे लोक न्यास है को देना जो गठन करती है.

अत: मैं रमेश शर्मा पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 24-9-2004 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम : आयुष्मान फाउंडेशन, भिलाई
2. लोक न्यास की संपत्ति : रुपये पांच हजार

रमेश शर्मा,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 52/अ.वि.अ./वाचक/ट्रस्ट/04.—चूंकि आवेदिका सरंपच ग्राम सारखी श्रीमती प्रभाबाई शमेर जी सारेश्वरनाथ शिवमंदिर सारखी तह. अभनपुर एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 1-7-2004 को होगी

अनुसूची

पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण

(1) पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	शमेर जी सारेश्वरनाथ (शिवमंदिर सारखी) ग्राम सारखी, अभनपुर
(2) चल संपत्ति	:	निरंक
(3) अचल संपत्ति	:	खसरा नं. 181 रकबा 9.316 हे.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2004

क्रमांक 69/वाचक/ट्रस्ट/अ.वि.अ./04.—सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक महंत राम सुन्दर दास गुरु स्वर्गीय श्री महंत वैष्णवदास मैनेजिंग ट्रस्टी श्री बालाजी स्वामी श्री दूधाधारी मठ ने ग्राम मठपुरेना प.ह.नं. 105, रा.नि.मं. व तहसील रायपुर में स्थित भूमि जिनका खसरा नं. क्रमश: 14/1, 14/2 एवं 14/3, 25, 27/2, 28, 31 का रकबा क्रमश: 1.214, 0.308, 0.348, 0.178, 20.328, 2.092 कुल रकबा 24.468 हे. में से 15 से 20 एकड़ भूमि सृष्टि एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित सृष्टि विश्वविद्यालय के लिए दान में देना चाहता है. यदि उक्त दर्शित खसरा नं. एवं रकबा को सृष्टि एजुकेशनल सोसायटी के लिए दान में देने से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति, सुझाव पेश करना हो तो पेशी दिनांक 3-8-2004 के पूर्व स्वयं उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर सकता है. निर्धारित तिथि के पश्चात् पेश किये गये आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 3-7-2004 को जारी किया गया.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास पंजीयन न्यास, कटघोरा

कटघोरा, दिनांक 5 नवम्बर 2004

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिए]

[अंतर्गत धारा 3 (2) म. प्र. शासन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (×××/1951) और नियम 5 (1) म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट नियम 1962]

क्रमांक/क/अ.वि.अ./लो. न्यास/04/2454.—समक्ष निबंध पब्लिक ट्रस्ट आदि शक्ति मां महिसासुर मर्दिनी धार्मिक एवं जन कल्याण ट्रस्ट चैतुरगढ़ (लाफा) विकासखण्ड पाली जिला कोरबा (छ. ग.).

जो कि (1) श्री राधेश्याम शुक्ल पिता स्व. श्री गयाराम शुक्ल निवासी नेहरू नगर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.) (2) श्री बोधराम कंवर पिता-मुरितराम कंवर निवासी हरदीबाजार जिला कोरबा (छ. ग.) के हैं एक आवेदन पत्र धारा 4 म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (××× 1951) में अपनी संपत्ति के निबंधीकरण के लिये पब्लिक ट्रस्ट के समक्ष आवेदन देते हुए उनके न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा दिनांक 21-8-2003 को प्रस्तुत किया है.

यदि कोई व्यक्ति इस संस्था या इसके सम्पत्ति के इच्छुक हो वे अपना आपत्ति (सलाह) विहित रूप से इस नोटिस/सूचना के प्रकाशन से एक माह के अंदर स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अपना आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकते हैं.

इस अवधि के पश्चात् दिये गये आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

(1) ट्रस्ट का नाम : ट्रस्ट आदि शक्ति मां महिसासुर मर्दिनी धार्मिक एवं जनकल्याण ट्रस्ट चैतूरगढ़ [लाफा विकासखण्ड पाली, जिला-कोरबा (छ. ग.)].

राजेश ओगरे,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2004

प्रारूप-पांच

[नियम 5 (1) देखिए]

[अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) तथा लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

लोक न्यास पंजीयक बिलासपुर जिला बिलासपुर के समक्ष

क्रमांक/का/री-1/2004.—अत: होली फेथ ट्रस्ट लोक न्यास बिलासपुर पता-द्वारा श्रीमती रमोला टोप्पो, पति-श्री ए. बी. टोप्पो, एच.आई.जी.-12, लक्ष्मी निवास कालोनी, पुराना सरकंडा, रतनपुर रोड, बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक..............उक्त जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अनुसूची
होली फेथ ट्रस्ट, बिलासपुर (छ. ग.)

अचल संपत्ति : निल.

चल संपत्ति : निल

अत: द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास की संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना होगा. और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

आज दिनांक 20-12-2004 मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.